राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	मांगीलाल बनाम रामलाल 167/2021 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16/02/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक/लिखित बहस हेतु पत्रावली दिनांक 23/03/2026 को पेश हो | राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
23/03/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है | पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 25/03/2026 को पेश हो | राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
25/03/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा, विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि कृषि भूमी खसरा नम्बर 67 रक्बा 3.53 हैक्टर, खसरा नंम्बर 81 रक्बा 0.38 हैक्टर कुल किता 2 कुल रक्बा 3.91 हैक्टर वाके ग्राम हरदत्तपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर मे स्थित है एवं कृषि भूमी खसरा नं. 54 रक्बा 0.44 है., ख. नं. 67/246 रक्बा 1.05 है., खं. नं. 48/238/249, रक्बा 0.48 है. ख. नं. 55/359 रक्बा 0.03 है. कुल किता 4 कुल रक्बा 2.00 है. वाके ग्राम हरदत्तपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर मे स्थित है । वाद पत्र में आगे सजरा खानदान अंकित करते हुये कथन किया कि विवादग्रस्त वादीगण एवं प्रतिवादी नं. 1 तथा मृत्तक हनुमान पुत्र चुना की खानदानी पैतृक कृषि भूमि है, इस कृषि भूमि का वादीगण प्रतिवादी नं. 1 व मृतक हनुमान पुत्र चुना ने सैटेलमेन्ट पैमाईस के दौरान पारिवारिक विभाजन कर लिया था जिसके अनुसार वाद पत्र के मद नं. 1 मे वर्णित कृषि भूमि का 3/4 हिस्सा प्रतिवादी नं. 1 नाथू के तथा शेष 1/4 भाग मृतक हनुमान के हिस्से में दिया गया तथा वाद पत्र के मद नं. 2 मे वर्णित कृषि भूमि का 3/4 हिस्सा वादीगण के हिस्से में तथा शेष 1/4 हिस्सा मृतक हनुमान पुत्र चुना के हिस्से मे दिया गया । मृतक हनुमान पुत्र चुना की मृत्यु दिनांक 13.3.99 को हो गयी मृतक की शादी नहीं हुयी थी तथा वह ना औलाद ही फोत हो गया, मृतक हनुमान के तीन सगे भाई नानछा, सुवा लाल व नाथु पुत्रांन चुना राम ही केवल मात्र वारिसान् रहे तथा वे ही मृतक हनुमान की समस्त चल व अचल सम्पत्ति के कानुनी वारिसान् हुये हनुमान की मृत्यु के बांद में अब से एक साल पुर्व सुवा लाल की भी मृत्यु हो गयी है तथा उसका पुत्र वादी नं. 2 जगदीश पुत्र सुवा लाल समस्त अधिकार रखता है । कानुनी प्रावधानों के अनुसार तथा हिन्दु उत्तराधिकार के हनुमान की सम्पत्ति के राजस्व अपील प्राधिकारी	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	मांगीलाल बनाम रामलाल हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	167/2021	

तीनो वारिसानों प्रावधानों के अनुसार मृतक वादीगण व प्रतिवादी नं. 1 समान रूप से अधिकारी है तथा मृतक हनुमान के हिस्से की कृषि भूमि विवादग्रस्त पर भी वादीगण व प्रतिवादी नं. 1 समान रूप से प्रत्येक का 1/3 हिस्से 1/3 हिस्से पर हक व अधिकार बनता है तथा इसी प्रकार से वादीगण एवं प्रतिवादी नं.1 मृतक हनुमान की सम्पत्ति के अधिकारी है। प्रतिवादी नं. 1 व 2 बहुत ही चालाक व हौशियार किस्म के व्यक्ति है उन्होने गैर कानूनी रूप से मृतक हनुमान पुत्र चुना की मृत्यु के पश्चात फर्जी मुख्तारनामा दस्तावेज के आधार पर प्रतिवादी नं. 2 ने प्रतिवादी नं.1 के हक में मृतक हनुमान की भूमि खसरा नं. 67 रक्वा 3. 53 है. तथा खसरा नं. 81 रक्बा 0.38 है. का त्यागपत्र दिनांक 19.4.99 को कर दिया तथा भूमि खसरा नं. 54 रक्बा 0.44 है. व खसरा नं. 67/246 रक्बा 1.05 है. का फर्जी तथाकथित विक्रय पत्र दिनांक 30.6. 99 को करा दिया इस प्रकार प्रतिवादी नं. 1 व 2 ने मृतक हनुमान की मृत्यु के पश्चात भूमि को हड़प करने की नियत से फर्जी दस्तावेजात के आधार पर प्रतिवादी नं. 1 के नाम कराने की कार्यवाही की गयी उक्त कार्यवाही कानुनी प्रावधानों के कतई विपरीत होने के कारण प्रारम्भ से ही प्रभाव शुन्य नल एण्ड वोईड है जिसकी कानूनी रूप से कोई अहमीयत नहीं है तथा वे दस्तावेजात वादीगण के विरूद्ध कलेदम बेअसर है। प्रतिवादी गण नं. 1 व 2 सगे पिता-पुत्र है इन्होनें वादीगण के हक व अधिकारों को गैर कानुनी रूप से नष्ट करने के उद्देश्य से तथा स्वयं नाजायज लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से वाद पत्र के पैरा नं. मे वर्णित किये गये कार्य किये है जिनका उद्देश्य केवल मात्र मृतक हनुमान की सम्पत्ति में से वादीगण के प्राप्त अधिकारों को हड़प करने का है। प्रतिवादी नं. 1 व 2 ने मृतक हनुमान की मृत्यु के बाद में गैर कानुनी रूप से योजनाबद्ध तरीके से षड्यन्त्र रचतें हुये उक्त विक्रय पत्र व त्याग पत्र तैयार किये है प्रतिवादीगण का यह कार्य विधि के विपरीत होने के कारण कानुनी रूप से कोई अहमियत नहीं रखते तथा ये दस्तावेजात प्रारम्भ से ही शुन्य है। वादीगण अभी हाल ही में दिनांक 17.11.2001 को राजस्व रिकॉड़ में मृतक हनुमान पुत्र चुना की विरासत का नामन्तरण खुलवाने हेतु पटवारी हलका से सम्पर्क किया तो पटवारी हलका नें प्रतिवादी नं. 1 व 2 द्वारा किये गये उक्त फर्जी विक्रय पत्र एवं उक्त फर्जी त्याग पत्र की कार्यवाही तथा उनके आधार पर प्रतिवादी नं. 1 के नाम से मृतक हनुमान पुत्र चुना की भूमि खसरा नं. 54, 67/246, 67, 81 का अमल दरामद जमाबन्दी में कर दिये जाने के तथ्यों की जानकारी पटवारी हलका नें वादीगण को दी गयी वादीगण नें पटवारी हलका खोरावीशल से राजस्व दस्तावेजात जमाबन्दी आदि कि नकल प्राप्त की जिनके आधार पर वादीगण को

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	मांगीलाल बनाम रामलाल हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
167/2021		

प्रतिवादी गण 1 व 2 द्वारा किये गये उक्त गैर कानुनी कार्यों की जानकारी हो पायी । दिनांक 18.11.2001 को वादीगण ने प्रतिवादी नं. 1 व 2 मिलकर उन्के द्वारा उक्त प्रकार से गैर कानुनी रूप से तैयार किये गये दस्तावेजात व त्याग पत्र व विक्रय पत्र के संबन्ध में बात-चीत की तो उन्होने वादी गण को सैलानियां या धमकी दी की हमने जो कर लिया जो कर लिया तुम चाहे जो कर सकते हो हम किसी भी सूरत में भूमि विवादग्रस्त को जो मृतक हनुमान के हिस्से कि है को पूर्णरूप से हड़प्ज्ञ कर ही रहेगें तथा तुमको मृतक हनुमान के हिस्से की भूमि मे कुछ भी नहीं देगें तथा इस भूमि पर अब हम जबरन कब्ता भी करेंगें तथा विकय भी करेगें। प्रतिवादी गण को वादीगण ने काफी सम्झाने का प्रयास किया लेकिन वे नहीं मानें। प्रतिवादीगण 1 व 2 द्वारा किये गये उपरोक्त कार्यो के आधार पर वादीगण को अपने हक व अधिकारों की रक्षा करने के लिये यह वाद मान्य न्यायालय के समक्ष वादीगण द्वारा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हो गया है । दिनांक 18.11.2001 को प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को भूमि विवादग्रस्त पर मृतक हनुमान पुत्र चुना राम के सम्पूर्ण हिस्से को हड़प करने तथा भूमि विवादग्रस्त पर से वादीगण को जबरन बेदखल कर के सम्पूर्ण भूमि पर प्रतिवादीगण 1 व 2 द्वारा जबरन कब्जा करने की औलानयां घमकी दिये जाने कारण वाद कारण उत्पन्न हुआ जो लगातार उत्पन्न हो रहा है जिस कारण से वादीगण द्वारा मान्य न्यायालय के समक्ष यह वाद प्रस्तूत किया जा रहा है । वाद पत्र के अन्त में ईस्तदुआ चाही गयी कि वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय कि डिक्री फरमाई जावे कि कृषि भूमी खसरा नम्बर 67 रक्बा 3.53 हैक्टर, खसरा नंम्बर 81 रक्बा 0.38 हैक्टर कुल किता 2 कुल रक्बा 3.91 हैक्टर वाके ग्राम हरदत्तपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर मे स्थित है के 1/4 भाग मे से 2/3 भाग अर्थात सम्पुण भूमि के 1/6 भाग का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जाये तथा शेष भाग 5/6 हिस्सा प्रतिवादी नं. 1 के हिस्से में रहने दिया जाये । कृषि भूमी खसरा नं. 54 रक्बा 0.44 है., ख. नं. 67/246 रक्बा 1.05 है., खं. नं. 48/238/249, रक्बा 0.48 है. ख. नं. 55/359 रक्बा 0.03 है. कुल किता 4 कुल रक्बा 2.00 है. वाके ग्राम हरदत्तपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर मे स्थित है के 11/12 हिस्से के खातेदार काश्तकार वादीगण को घोषित फरमाया जाये तथा शेष 1/12 हिस्से का खातेदार काश्तकार प्रतिवादी नं. 1 को रहने दिया जावे विवादग्रस्त वादपत्र के मद नं. 1 व 2 में वर्णित है का विधिवत विभाजन किया जा कर मद नं. 1 में वर्णित भूमि के 1/6 हिस्से तथा मद नं. 2 में वर्णित 11/12

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	मांगीलाल बनाम रामलाल हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

167/2021

हिस्से की खातेदारी का पर्चा वादीगण को अलग से प्रदान किया जावे तथा भूमि का लगान भी अलग-अलग निर्धारित किया जावे |

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये | तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 18/09/2019 को प्रार्थना पत्र बाबत नाम हजफ किये जाने का इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि वाद में प्रतिवादी संख्या 1/6 संज्या देवी विधवा मृत्तक नाथू की मृत्यु हो चुकी है तथा संज्या देवी के वारिस प्रतिवादीगण रामलाल, छोगालाल, तेजाराम, मन्नी देवी, रुकमा देवी पूर्व से ही वाद में प्रतिवादीगण संख्या 1/1 ता. 1/5 के रूप में पक्षकार बने हुये है | अत: उक्त मृत्तका का नाम वाद से हजफ किया जावे |

जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की बहस समायत कर निर्णय दिनांक 25/02/2021 पारित करते हुये प्रार्थना पत्र नाम हजफ निरस्त करते हुये वादीगण का वाद ख़ारिज फरमा दिया गया | जिसके विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी, जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी |

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि उसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा, विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु प्रस्तुत किया गया, जिसमें दिनांक 18-9-2019 को प्रार्थना पत्र नाम हजफ किये जाने प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त वाद प्रतिवादी संख्या 1/6 संज्या देवी विधवा मृतक नाथू जाति बागडा ब्राह्मण निवासी ग्राम हरदत्तपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर की मृत्यु हो चुकी है तथा संज्या देवी के वारिस प्रतिवादीगण रामलाल, छोगाराम, तेजाराम, मन्नी देवी, रूकमा देवी पूर्व से ही वाद में प्रतिवादीगण संख्या 1/1 से 1/6 के रूप में पक्षकार बने हुए है उक्त मृतक के प्रतिवादीगण 1/1 से 1/6 के अलावा अन्य कोई वारिसान नही है इसलिए उक्त मृतक का नाम वाद से हजफ फरमाया जावें जिस पर दिनांक 10-2-2021 को उभय पक्षो की बहस सुनी जाकर दिनांक 25-2-2021 को अपीलांट्/वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को निरस्त करते हुए वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद का उपशमन होना अंकित करते हुए वाद पत्र को खारिज फरमा दिया जो परवर्ष आर्बीटेरी एण्ड कान्टेरी टू लॉ होने के कारण अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट् कथन किया कि प्रतिवादीया संख्या 1/6 श्रीमति संज्या देवी धर्मपत्नी स्व. श्री नाथू का दिनांक 4-5-2017 को स्वर्गवास

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	मांगीलाल बनाम रामलाल हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

167/2021

हो गया किन्तु फिर भी अपीलांट्स/वादीगण ने जानबूझकर प्रतिवादीया सख्या 1/6 का नाम पत्रावली से तर्क किये जाने एवं उसके विधिक उत्तराधिकारीयों को उनके स्थान पर प्रतिस्थापित किये जाने का आवेदन जानकारी के बावजूद भी कतई मयाद बाहर 2 वर्ष 4 माह 13 दिवस पश्चात् प्रस्तुत किया है जिसे विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निरस्त कर वाद पत्र का उपशमन हो जाने की वजह से निरस्त फरमाया है जो पूर्णतया न्यायोचित निर्णय एवं डिक्रि है क्योकि अपीलांट्स/वादीगण को प्रतिवादीया संख्या 1/6 के देहान्त होने की प्रारम्भ से पूर्ण जानकारी है, अपीलांट्स/वादीगण एवं प्रतिवादीगण सजातीय है तथा एक ही ग्राम में निवास करते है किन्तु फिर भी अपीलांट्स/वादीगण ने विधि के सुस्थापित सिद्धान्तो की अवहेलना करते हुए जानबूझकर न्याय पालिका एंव न्यायिक प्रक्रिया की अवहेलना करते हुए मयाद बाहर आवेदन अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है जिसमें अपीलांट्स/वादीगण ने अबेटमेन्ट को सेट असाईट करने हेतु कोई अनुतोष नही चाहा है तथा ना ही उक्त आवेदन के साथ आवेदन अन्तर्गत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत किया है इसलिए अपीलांट्स/वादीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन मयाद बाहर होने की वजह से विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद का उपशमन हो जाने की वजह से खारिज किया है जो सही है साथ ही रेस्पोडेन्ट् ने यह भी कथन किया कि अपीलांट्स/वादीगण किसी भी पक्षकार के देहान्त होने के पश्चात् की जाने वाली प्रक्रिया की प्रारम्भ से ही पूर्ण जानकारी है क्योंकि पूर्व में भी अपीलांट्स / वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 के देहान्त होने पर उसके विधिक उत्तराधिकारी को उसके स्थान पर प्रतिस्थापित किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था जिससे यह स्पष्ट होता है कि अपीलांट्स/वादीगण को उक्त उक्त कानूनी बाध्यता की भी जानकारी है कि किसी भी पक्षकार के देहान्त हो जाने के पश्चात् उसके विधिक उत्तराधिकारीयों को अन्दर मयाद 90 दिवस में प्रतिस्थापित किये जाने की कार्यवाही की जानी चाहिए किन्तु फिर भी अपीलांट्स/वादीगण ने जानबूझकर 2 वर्ष 4 माह 13 दिवस पश्चात् उक्त आवेदन विद्वान अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जिसमें विलम्ब को क्षमा किये जाने हेतु कोई युक्तियुक्त एवं विश्वसनीय कारण अंकित नही किये हैं और ना ही उपशमन को सेट असाइट करने के लिए कोई याचना की है और ना ही अलग से धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो कि बाध्यकारी है और ऐसी अवस्था में न्याय प्रक्रिया के वैधानिक प्रावधानों के विपरित लापरवाही पूर्ण तरीके से प्रस्तुत किये गये आवेदन को विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने विभिन्न

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

न्यायिक दृष्ट्रान्तो का अवलोकन करने के उपरान्त ही निरस्त करते हुए वाद का उपशमन हो जाने के कारण खारिज फरमाया है जो पूर्णतया न्यायोचित है इसलिए अपीलांट्स द्वारा असत्य कथन करते हुए प्रस्तुत की गयी उक्त अपील को निरस्त फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25-2-2021 यथावत फरमाया जावें। रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस के समर्थन में विभिन्न न्यायिक दृष्ट्रान्त डी.एन.जे. 2014 (2) पृष्ठ संख्या 310, डी.एन.जे. 2014 (2) पृष्ठ संख्या 467, डी.एन.जे. 2014 (3) पृष्ठ संख्या 1132, डो.एन.जे. 2015 (1) पृष्ठ संख्या 105 राज., आर.आर.टी. 2015 (1) पृष्ठ 232, डी.एन.जे. 2014 (2) पृष्ठ संख्या 709, आर.आर.टी. 2016-2017 पृष्ठ 319 प्रस्तुत किये हैं।

अपीलांट्स एवं रेस्पोडेन्ट्स द्वारा की गई बहस तथा अधिनस्थ अभिलेख पर मौजूद दस्तावेजी साक्ष्य एवं न्यायिक दृष्ट्रान्तो का गहनता से अध्ययन एवं मनन करने के पश्चात् हम इस निश्कर्ष पर पहुंचे हैं कि रेस्पोडेन्ट्/वादीगण ने प्रतिवादीया संख्या 1/6 संज्या देवी का दिनांक 4/5/2017 को देहान्त होने के 2 वर्ष 4 माह 13 दिवस पश्चात प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तथा उक्त प्रार्थना पत्र में विलम्ब का कोई कारण अंकित नही किया और नाही वाद के स्वतः उपशमित हो जाने के उपरान्त भी उपशमन को निरस्त करवाने की कोई प्रार्थना आवेदन में की है और नाही विलम्ब को माफ किये जाने के सम्बध में अलग से कोई याचना अथवा आवेदन धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत किया है जहां विधि द्वारा परिसिमित समय के भीतर कोई आवेदन नहीं किया जाता है वहां आवेदन को गुणावगुण पर स्वीकृत नहीं किया जा सकता है जैसाकि न्यायिक दृष्ट्रान्त डी. एन. जे. 2014 पेज 310 सुप्रिम कोर्ट में माननीय सर्वोच्य न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि Delay and Inordinate delay sufficient cause is a condition precedent for exercising the discretion for condoning the delay court cannot condone the delay if it is not properly, satisfactorily and convincingly explained, Delay cannot be condoned on sympathetic grounds held, हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण ने ना तो आवेदन में डिले कन्डोन करने हेतु कोई याचना की है ना ही अलग से कोई आवेदन प्रस्तुत किया और ना ही उपशमित हो चुके वाद के उपशमन को अपास्त करने हेतु आदेश 22 नियम 2 व 9 के तहत कोई आवेदन प्रस्तुत किया और ना ही मूल प्रार्थना पत्र में ही इस सम्बंध में कोई याचना की है इसलिए उक्त आवेदन कतई मयाद बाहर होने एवं वाद का उपशमन हो जाने की वजह से अधिनसथ न्यायालय ने उक्त वाद को

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	मांगीलाल बनाम रामलाल हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	167/2021	

खारिज किया है जो सही है। अपीलार्थी द्वारा अपील के माध्यम से ऐसा कोई ठोस तर्क जाहिर नही किया गया है जिससे कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष सन्दर्भित प्रार्थना पत्र नाम हजफ किये जाने में हुये विलम्ब को कन्डोन करने में सहायक हो। अतः ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25-2-2021 विधिसम्मत् प्रतीत होने से यथावत रखा जाकर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो

निर्णय आज दिनांक 25/03/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर